# अधिकारों की फ़िक़्ही हैसियत

हक़ या अधिकार क्या है जिसके बदले कोई सौदा होता है? इस विषय पर तीसरे फ़िक़्ही सेमिनार (8-11 जून 1990 ई0, दारुल उलूम सबीलुर्रशाद, बैंगलोर) में ग़ौर हुआ और निम्नलिखित सहमति हुई।

1- ख़रीद व फ़रोख़्त में माल एक बुनियादी शर्त है।

2- माल की हक़ीक़त शरई नुसूस (प्रत्यक्ष निर्देश) में निर्धारित नहीं की गयी है। इस लिए इसका निर्धारण ज़माने के प्रचलन (रिवाज) पर निर्भर है, इस शर्त के साथ कि वह शरीयत से न टकराता हो।

3- ऐसे हुक़ूक़ (अधिकार) जो प्रत्यक्ष रूप से (डायरेक्ट) हासिल नहीं होते, बल्कि किसी नुक़सान से बचने के लिए मिले होते हैं (और जिनकी हैसियत क़ानूनी नहीं बल्कि अख़लाक़ी होती है), उन्हें बेचा नहीं जा सकता और उस के बदले कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, जैसे पड़ौसी का हक़ (हक़-ए-शुफ़अ)

4- जो हुक़ूक़ (अधिकार) शरई नुसूस से साबित हों, लेकिन उनसे माली फ़ायदा जुड़ गया हो और उनका लेना ज़माने में आम तौर से प्रचलित हो गया हो, और उनकी हैसियत केवल नुक़सान को दूर करने की न हो, और न वह शरीअत के आम सिद्धांतों से टकराते हों, ऐसे हुक़ूक़ पर बदला हासिल करना जायज़ और दुरुस्त है।

5- कौन से हुक़ूक़ किस श्रेणी में आते हैं और ज़माने में प्रचलित कौन से हुक़ूक़ बदले के क़ाबिल हैं और कौन से नहीं, इसके निर्धारण के लिए प्रमाणित और विश्वसनीय मुफ़्तियों से संपर्क किया जाए।

☆☆☆